निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प विजयपुरा

प्र.सं 23/2018 प्रा.पत्र निर्णय दिनांक 28.05.2018

अनवान

1. श्री हरिसिंह पिताशेरसिंह रावत नि. विजयपुरा (नई आबादी) त. देवगढ़ जि.राजसमंद

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री तेजसिंह पिता भैरूसिंह रावत नि. किटो का बाडिया तह. देवगढ़
2. श्री गंगा पिता भैरूसिंह रावत नि. किटो का बाडिया तह. देवगढ़
3. श्री गिरधारी पिता हुक्मसिंह रावत नि. किटो का बाडिया तह. देवगढ़
4. श्रीमति भंवरी पत्नि टीलसिंह रावत नि. किटो का बाडिया तह. देवगढ़
5. श्री करणसिंह डूंगरसिंह रावत नि. किटो का बाडिया तह. देवगढ़
6. श्री भंवरसिंह पिता धीरसिंह रावत नि. किटो का बाडिया तह. देवगढ़
7. श्री देवीसिंह पिता केरसिंह रावत नि. किटो का बाडिया तह. देवगढ़
8. श्री नौलसिंह पिता मालसिंह रावत नि. कामली तह. देवगढ़
9. श्री उदयसिंह मालसिंह रावत नि. कामली तह. देवगढ़

............विपक्षीगण

वाद अर्न्तगत धारा 111–128 राज. ले. रे. एक्ट

पत्रवाली आज दिनांक 28.5.2018 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प विजयपुरा में पेश हुई। पक्षकारण को जारी सम्मन तामील हो शामिल पत्रावली हैं। पक्षकारन उपस्थित रहे। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का आवलोकन किया विवरण इस प्रकार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीटो का बाडिया प.ह. कामली त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। खाता सं. 53 में प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमियां क्रमशः आराजी सं. 397 रकबा 0.12 आराजी नं. 791/597 रकबा 6 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की प्रार्थी ने अभी तक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई हैं। मौके पर पक्की पत्थर की दीवार अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से प्रार्थी व पड़ौसी के बीच सीमा सम्बंधी विवाद बना रहता है। हर समय फसल बवाई तथा कटाई के सीमा सम्बधित विवाद करते रहते हैं, जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना पड़ता हैं। मौके पर अशांति कायम रहती हैं। जिससे प्रार्थी उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहें हैं, यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाऐगा तथा प्रार्थी उकसी भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प विजयपुरा में नियत कर। पक्षकारन को पुनः सूचना पत्र जारी किये गया । अन्य पक्षकारनें में से विपक्षीगण सं. 1. तेजसिंह पिता भैरूसिंह 2. गंगा पित भैरूसिंह ने आपसी राजेनामा पेश किया। यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की नपती पत्थरगढी हो जाती हैं तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम कामली प.ह. कामली त.देवगढ़ की नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 में प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम कीटो का बाडिया प.ह. कामली त.देवगढ़ में उसकी कृषि भूमि स्थित हैं। खाता सं. 53 में प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमियां क्रमशः आराजी सं. 397 रकबा 0.12 आराजी नं. 791/597 रकबा 6 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 6 बीघा भूमि का आपसी राजीनामे के आधार पर पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पैश करें।

पत्रावली फैसल शुमार को नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 28.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प विजयपुरा में मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम कि जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद